भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. DCB/1/2018/MCVL1/SEPROM/RU-III

6th floor, B Wing Loknayak Bhawan,
Khan Market,
New Delhi-110003
Dated: 18-05-2018

To,

The Chairman & Managing Director,
Air India, Air Lines House, 2nd floor,
113, Gurudwara Rakabgunj Road,
New Delhi -110001

Sub: Representation of Shri Dinesh Chandra Bhasker, Dy. Manager, Staff No. 23114/80005868 and others regarding discrimination in promotion by selection exercise making 10-12 junior employees senior in violation of Constitutional Provisions, existing Recruitment and Promotion Rules and Provisions. (2) Shri Rebat Pal. Air India Colony, Vasant Vihar, New Delhi regarding his case pending for compliance. (3) Shri Tilak Ram Sharma, Flat no. 224, pocket-23 Sec-24, Rohini, Delhi regarding promotion.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of Proceeding of the Sitting taken by Shri Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson, NCST on 20.03.2018 for information and urgent necessary action.

It is requested that action taken in this regard may be submitted to this Commission within months' time.

Yours faithfully,

(R. K. Dubey)
Assistant Director

Copy for information and necessary action to:

1. Shri Dinesh Chandra Bhasker, Dy. Manager, Medical Department, AIR-India Ltd., GSD Complex, IGI Apt –II New Delhi.
2. Shri Rebat Pal, C3/45 Air India Colony, Vasant Vihar, New Delhi-110057
3. Sh. Tilak Ram Sharma, Flat no. 224, Pocket 23 Sec-24, Rohini, Delhi-110085
4. SAS, NIC, NCST uploaded on the web site.

Tel.:011-24657271, 011-24615012, 011-24624714, Fax: 011-24604689, 011-24624191

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. DCB/1/2018/MCVL1/SEOTH/RU-III

विषय :– श्री दिनेश चंद्र भास्कर ड्यूटी मैनेजर तथा अन्य की पदोन्नति । (2) श्री तिलक राम शर्मा एयर इंडिया के प्रमोशन । (3) श्री रेबट पाल के प्रमोशन तथा छुटिट्यों की राशि का भुगतान से संबंधित मामले पर आयोग द्वरा की गई सुनवाई का कार्यवृत ।

बैठक की तिथि– 20.03.2018

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न 'क'

प्रकरण सं. 1 – श्री दिनेश चंद्र भास्कर एवं अन्य से प्राप्त अभ्यावेदन जिसमें उन्होंने एयर इंडिया में अपने से जूनियर कर्मचारी का पहले प्रमोशन किये जाने और उसे वरिष्ठ बनाने पर आयोग को शिकायत भेजी है। आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएमडी, एयर इंडिया के साथ 20.03.2018 को 12:30 अपराह्न माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में बैठक रखी थी जिसमें आवेदक भी उपस्थित थे । आयोग ने पहले आवेदक को अपना पक्ष रखने के लिए कहा ।

श्री दिनेश चंद्र भास्कर तथा अन्य आवेदकों ने बताया कि एयर इंडिया तथा इंडियन एयर लाइन्स का विलय वर्ष 2007 में हो जाने के बाद पूर्ववर्ती इडियन एयर लाइन्स में कर्मचारियों की मैनेजमैंट कैटेगरी में पदोन्नति के लिए वर्ष 2009 में आंतरिक चयन द्वारा प्रमोशन प्रक्रिया हुई थी जिसमें पूर्ववर्ती एयर इंडिया के कर्मचारियों से 10–12 वर्ष कनिष्ठ पूर्ववर्ती इडियन एयर लाइन्स के कर्मचारियों का प्रमोशन, लगभग 50 वर्षों से चली आ रही प्रक्रिया को बदल कर बिना लिखित परीक्षा के ही कर दिया गया तथा इसे सीधी भर्ती बताया गया । इस प्रक्रिया में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण दिया गया जो चयन द्वारा पदोन्नति प्रक्रिया में लागू नहीं होता है जबकि पूर्ववर्ती एयर इंडिया में पूर्व में लागू प्रक्रिया के अनुसार लिखित परीक्षा आदि के बाद वर्ष 2008 में प्रमोशन हुआ। जब इन दो कंपनियों का एक साथ विलय हो गया तो यह पदोन्नति प्रक्रिया सबके लिए एक समान होनी चाहिए थी । विलय होने पर दोनों कंपनियों के कर्मचारियों से संबंधित मामले आदि की प्रक्रिया पर

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

विचार हेतु सरकार द्वारा जस्टिस धर्माधिकारी कमेटी का गठन किया गया था जिसे मामले का विश्लेषण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। जस्टिस धर्माधिकारी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार दोनों पूर्ववर्ती कम्पनियों में जिस कर्मचारी का कार्यकाल किसी भी ग्रेड में ज्यादा होगा वह कम कार्यकाल के कर्मचारी से वरिष्ठ रहेगा तथा वर्ष 2007 के बाद किसी कनिष्ठ कर्मचारी को पदोन्नति दे कर वरिष्ठ बना दिया गया है तो उससे वरिष्ठ कर्मचारी को प्रोफार्मा प्रमोशन देकर उस कनिष्ठ कर्मचारी से वरिष्ठ किया जाएगा । इस नियम का लाभ हजारों कर्मचारियों को दिया गया। एक पक्ष के अधिकारियों द्वारा एक पक्षीय व दुर्भावनापूर्ण ढ़ंग से एयर इंडिया के आवेदक इन अधिकारियों को इसका लाभ नहीं दिया गया क्योंकि इससे 2008 बैच के एक पक्ष के अधिकारी लाभावन्त हो रहे थे अतः जानबूझ कर उपरोक्त प्रावधान की अनदेखी की गयी और गुमराह किया गया ।

सीएमडी, एयर इंडिया ने आयोग को बताया कि वर्ष 2012 में इस कमेटी की रिपोर्ट आई थी । यह मामला एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विलय से संबंधित था और केवल एस सी/एस टी कर्मचारी ही नहीं बल्कि सभी कर्मचारियों से संबंधित था। सीएमडी ने आयोग को यह आश्वासन दिया कि इस मामले का अपने स्तर पर परीक्षण करेंगे जिसके लिए उन्हे कुछ समय लग सकता है क्योंकि अभी हाल ही में उन्होने एयर इंडिया में सीएमडी के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है ।

आयोग ने सीएमडी, एयर इंडिया को यह सुझाव दिया कि आंतरिक चयन द्वारा जो प्रमोशन हुआ है उसकी विसंगतियों को देखते हुए वरिष्ठ कर्मचारियों की वरिष्ठता बहाल रखने का कार्य किया जाए । इस संबंध में जस्टिस धर्माधिकारी कमेटी की रिपोर्ट के प्रावधान को ध्यान में रख कर प्राकृतिक न्याय व समानता के सिद्धांत के आधार पर इस मामले का हल किया जाना चाहिए ताकि आवेदकों को न्याय मिल सके। इस मामले की सीएमडी स्वयं जांच कर मामले को हल करें तथा आयोग को यथाशीघ्र जानकारी दें ।

प्रकरण सं. 2 : श्री तिलक राम शर्मा के प्रमोशन के संबंध में एयर इंडिया प्रबंधन ने यह अवगत कराया कि श्री तिलक राम शर्मा यात्रियों को सस्ती दरों पर टिकट मुहैया कराते थे और स्वयं लाभ कमाते थे । इस मामले की जांच के बाद उन्हें दोषी पाया गया था । और उनकी चार वेतन वृद्धियां रोक दी गई थी । उन्होंने आगे यह भी बताया कि दिनांक 20.04.2016 को आयोग के उपाध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी जिसमें इस विषय पर व्यापक चर्चा हुई तथा आयोग ने यह सुझाव दिया था कि श्री तिलक राम शर्मा की रोकी गई वेतन वृद्धियां बहाल की जाए जिस पर एयर इंडिया ने सहमति जताई । उक्त वेतन वृद्धियां बाद में स्वीकृत कर दी गईं। आयोग की अनुशंसा पर यह मामला बंद कर दिया गया था। उनके प्रमोशन के संबंध में यह बताया गया कि उनकी ज्येष्ठता वर्ष 2001 से लागू होती है अतः पदोन्नति में उनके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

प्रकरण सं. 3 : श्री रैबट पाल ने आयोग को अवगत कराया कि उन्होंने वर्ष 1983 में एयर इंडिया में इंजीनियर के पद पर ज्वाइन किया था परंतु उन्हे प्रमोशन देने के बजाय सुपरसीड किया गया और न ही उन्हें रियायतें दी गई जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। वे कुछ ही महीनों के अंदर सेवा निवृत होने वाले हैं । उन्होने कहा कि उनके वेतन से लगभग ₹ 2,90,000 गलत ढ़ंग से काट लिए गए हैं जो उन्हें वापस मिलने चाहिए।

आयोग ने एयर इंडिया प्रबंधन से यह जानना चाहा कि क्या आवेदक का कहना सही है । यदि ऐसा हैं तो यह मामला बड़ा दुःखद है । अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी के साथ अन्याय एक गंभीर मामला हैं । अतः इस आयोग ने निर्देश दिया कि इस मामले में श्री रैबट पाल सीएमडी, एयर इंडिया से उनके कार्यालय में स्वयं मिलकर चर्चा करें। एयर इंडिया उनकी सभी शिकायतों का नियमानुसार निराकरण कर आयोग को यथाशीघ्र कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

उक्त सभी मामलें में कार्रवाई 2 माह की अवधि के पूर्व कर आयोग को की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भेजी जाए ।

17.5.18

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट 'क'

File No. DCB/1/2018/MCVL1/SEPROM/RU-III

विषय :– श्री दिनेश चंद्र भास्कर ड्यूटी मैनेजर तथा अन्य की पदोन्नति । (2) श्री तिलक राम शर्मा एयर इंडिया के प्रमोशन । (3) श्री रेबट पाल के प्रमोशन तथा छुटिट्यों की राशि का भुगतान से संबंधित मामलें पर चर्चा हेतु एयर इंडिया प्रबंधन के साथ। दिनांक 20.03. 2018 को 12.30 बजे हुई बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की उपस्थिति।

क्र.सं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. श्री नंद कुमार साय, माननीय अध्यक्ष
2. सुश्री अनुसूईया उईके, माननीय उपाध्यक्ष
3. सचिव
4. संयुक्त सचिव
5. श्री आर.के.दुबे, सहायक निदेशक
6. उपाध्यक्ष के निजी सचिव
7 श्री डी.सी.कटोच, परामर्शक

एयर इंडिया के अधिकारी

1. श्री पी. एस. खरोला (सीएमडी)
2. श्री आर. जे शिंदे ED(Personnel)
3. श्री अश्वनि सहगल महाप्रबंघक (Personnel)

आवेदक

1. श्री दिनेश चन्द्र भास्कर व अन्य
2. श्री तिलक राम शर्मा
3. श्री रैबट पाल

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi